न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी

पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
52/प्रार्थना पत्र/18	14.03.2018	17.04.2018

उनवान

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,
तालेडा, जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थी

: बनाम :

स्व. श्री रूपा आ0 गेन्दया जाति भील (मृतक) जर्ये कायम मुकाम
1.श्री रामा आ. स्व. रूपा जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर
2.श्री छोटू आ. स्व. रूपा जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर
3.श्री हुकमा आ. स्व. रूपा जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर
4.श्री फोरू आ. स्व. रूपा जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर
5.श्री केल्या आ. स्व. रूपा जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर
6.श्री शंभू आ. स्व. रूपा जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर
7.श्री मोहन आ. स्व. रूपा जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर
8.श्री भोली पुत्री स्व. रूपा जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर
9.श्री संतोष पुत्री स्व. रूपा जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर
10.श्री धापू पुत्री स्व. रूपा जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर
11.श्री फुसबा बाई पत्नी स्व. रूपा जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम,1970

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

जिला कलेक्टर, बून्दी

:: निर्णय ::

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम,1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन ग्राम धनेश्वर की कृषि भूमि खसरा संख्या 223/1055 रकबा 12 बीघा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिये नोटिस तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस 2 गवाहान की मौजूदगी में अप्रार्थीगण के खुल्ले मकान पर एक प्रति चस्पानगी से तामील करवाई गई, किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना समक्ष न्यायालय हाजिर नहीं आने से दिनांक 16.4.18 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त किया कि ग्राम धनेश्वर में विरिथत आराजी खसरा संख्या 233/1055 रकबा 12 बीघा का आवंटन परामर्शदात्री समिति, मुकाम सूतडा द्वारा दिनांक 21.12.1975 को अप्रार्थी श्री रूपा आ. गेन्दया जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर को आंवटन किया गया था। आवंटी रूपा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 13.7.2017 के अनुसार उक्त आंवटित भूमि पर मौके पर गैर खातेदारान् का कब्जा काश्त नहीं है तथा भूमि पर मौके पर पत्थर के मुक्कसर टूकडे पडे हुये है एवं आवंटित भूमि में से लगभग 2 बिस्वा भूमि पर मकान निर्माण कार्य किया हुआ है। मुताबिक जानकारी मौतबिरान् उक्त खसरा नम्बर पर श्री सूरजमल बंसल (बून्दी सिलिका कम्पनी) का कब्जा होना बताया गया। इस प्रकार उक्त आवंटी गैर खातेदार द्वारा आवंटित भूमि पर कृषि कार्य नहीं करके भूमि बाबत आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। तहसीलदार, तालेडा द्वारा आवंटन निरस्तीकरण प्रस्ताव मय नकल जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस व मौका रिपोर्ट संलग्न कर उक्त भूमि आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी श्री रूपा आ. गेन्दया जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर को दिनांक 21.12.1975 को ग्राम धनेश्वर की भूमि खसरा संख्या 233/1055 रकबा 12 बीघा का आवंटन परामर्शदात्री समिति, मुकाम सूतडा द्वारा आवंटन किया जाना प्रकट है। प्रकरण के संलग्न जमाबंदी संवत् 2071–74 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 709 दिनांक 17.5.17 से मृतक रूपा के स्थान पर उसके वारिसान अप्रार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आये, ऐसी स्थिति में प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि आवंटन संबंधी जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 13.7.2017 के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। मौका रिपोर्ट मौतबिरान् की उपस्थित में तैयार की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। मौके पर पत्थर के मुक्कसर पडे हुये है, मकान निर्माण किया हुआ है एवं कच्ची टापरी बनी हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवंटी गैर खातेदार द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया, जिससे आवंटन नियमों की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन का प्रयोजन सार्थक नहीं हुआ और न ही कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी श्री रूपा आ. गेन्दया जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर को किये गये आवंटन भूमि खसरा संख्या 233/1055 रकबा 12 बीघा वाके ग्राम धनेश्वर दिनांक 21.12.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादित भूमि को अविलम्ब कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 17.04.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी